संख्या :5/2026/255/8-4002-01-2025

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों
आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति/
उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 11 अप्रैल 2025

विषयः- स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्ते आदि के लिए धनराशि की स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2026-27) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या-455/प्र0(वि0)/यू0सी0-92/स्मा0समिति/2025-26 दिनांक 30.03.2026 के क्रम में तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक-28.03.2026 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अधिष्ठान व्यय (वेतन-भत्ते) के भुगतान हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रूपये 3,69,00,00,000.00 (रूपये तीन अरब उनहत्तर करोड़ मात्र) के सापेक्ष रूपये 1,84,50,00,000.00 (रूपये एक अरब चौरासी करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि को कोषागार से आहरण हेतु समिति के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिल को शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिल को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) धनराशि का प्रत्येक माह कोषागार से आहरण यथासंभव आनुपातिक आधार पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in/

(3) स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में वित्त नियम संग्रह खण्ड-5 (भाग-1) के अध्याय सोलह-ए में दिये गये सहायक अनुदान के लिए सामान्य नियमों के साथ-साथ तत्संबंधी स्थायी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) व्यय के प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्राविधानित धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित नियमों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,84,50,00,000.00 (रूपये एक अरब चौरासी करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 002 लेखा शीर्षक 2217018000500 स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि के प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन-भत्ते आदि मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पी0 गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in/

संख्या : 5/2026/255(1)/8-4002-1-2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. उप सचिव/नोडल अधिकारी, लेखा अनुभाग आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
चन्द्र श्याम मिश्र
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in/